



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072025-264968
CG-DL-E-25072025-264968

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3334]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 2025/श्रावण 3, 1947

No. 3334]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 2025/SHRAVANA 3, 1947

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग-II)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2025

का.आ. 3411(अ).— केंद्र सरकार एतद्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (छ) के साथ पठित उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री विजेंद्र गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री एम.पी. गुप्ता के स्थान पर श्री राजीव बब्बर पुत्र श्री ओ.पी. बब्बर को तत्काल प्रभाव से दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामित करती है।

[फा. सं. के-11011/21/2004-डीडी-II]

सूर्य नारायण ज्ञा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS
(Delhi Division-II)
NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2025

S.O. 3411(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (g) of sub-section (3) of Section 3 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government hereby nominates Shri Rajiv Babbar s/o Shri O.P Babbar vice Shri Vijender Gupta s/o Late Shri M.P Gupta, as Member of the Delhi Development Authority with immediate effect.

[F. No. K-11011/21/2004-DD-II]

SURYA NARAYAN JHA, Under Secy.